राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –353/2017/चितौडगढ

मैसर्स श्रीजी नेचुरल स्टोन (इण्डिया) प्रा.लि.,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, चितौडगढ। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, चितौडगढ (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् पारित आदेश दिनांक 09.07.2016 द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए मांग राशि को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी विभाग में आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 के रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 24 के तहत् नोटिस जारी कर उसे अपीलार्थी व्यवहारी के ई–मेल पत्ते पर भिजवाया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम आधार पर दिनांक 09.07.2016 को कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग राशि का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु नियमित तारीख पेशी पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18.11.2016 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो न्यायहित में अनुचित था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील/1616/2010/उदयपुर मोवनी एक्सटेंशन प्रा.लि. बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 12.12.2017** को उद्धरित किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में सहायक आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने को निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड, एवं माननीय न्यायालय के निर्णय का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सूचना ई–मेल के जरिये प्रस्तुत की गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा भी व्यवहारी को तारिख पेशी दिनांक 11.08.2016 के लिए सूचना ऑनलाईन दी गई। जिसकी पालना में उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 06.10.2016 को उपस्थित हुए, तत्पश्चात् उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कर· निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं मिला। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित निर्णय **अपील/1616/2010/उदयपुर मोवनी एक्सटेंशन प्रा.लि. बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 12.12.2017** को आलौक में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, और उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य